

| विषय-सूची  |          |       |
|--|----------|-------|
|  | सन्दर्भ  |       |
|  | अनुच्छेद | पृष्ठ |
| प्राक्कथन  | -        | (v)   |
| <b>अध्याय I</b>  |          |       |
| <b>प्रस्तावना</b>  |          |       |
| इस प्रतिवेदन के बारे में   | 1.1      | 1     |
| लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा  | 1.2      | 1     |
| लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार   | 1.3      | 2     |
| कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर द्वारा आयोजना तथा लेखापरीक्षा का संचालन | 1.4      | 2     |
| लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष   | 1.5      | 3     |
| निष्पादन लेखापरीक्षाओं/प्रारूप अनुच्छेदों पर विभागों का प्रत्युत्तर                        | 1.6      | 6     |
| लेखापरीक्षा आक्षेपों के उत्तर का अभाव  | 1.7      | 6     |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही  | 1.8      | 7     |
| <b>अध्याय II</b>   |          |       |
| <b>निष्पादन लेखापरीक्षा</b>  |          |       |
| <b>ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग</b>   |          |       |
| प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण  | 2.1      | 9     |
| <b>अध्याय III</b>  |          |       |
| <b>अनुपालन लेखापरीक्षा</b>   |          |       |
| <b>कृषि विभाग</b>  |          |       |
| संग्रहालय भवन के निर्माण पर निष्फल व्यय  | 3.1      | 39    |
| <b>सहकारिता एवं उद्यान विभाग</b>   |          |       |
| लहसुन के लिए भण्डारण सुविधा की अनुपलब्धता के कारण बाज़ार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत हानि   | 3.2      | 40    |
| <b>वित्त विभाग</b>   |          |       |
| पेंशन का अधिक/कम भुगतान  | 3.3      | 42    |

|   | सन्दर्भ  |       |
|---|----------|-------|
|   | अनुच्छेद | पृष्ठ |
| <b>चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग</b>  |          |       |
| बारां जिले में सामान्य नर्सिंग मिडवाइफरी (सा.न.मि.) विद्यालय का निर्माण नहीं होना | 3.4      | 45    |
| <b>चिकित्सा शिक्षा विभाग</b>  |          |       |
| जोधपुर में पैरा चिकित्सा महाविद्यालय भवन का पूर्ण न होना                          | 3.5      | 47    |
| किराए की मांग नहीं करने के कारण संवेदक को अदेय लाभ                                | 3.6      | 50    |
| अनुसंधान अस्पताल, जयपुर पर निष्फल व्यय  | 3.7      | 51    |
| <b>जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग</b>  |          |       |
| डक्टाइल आयरन पाइपों के लिए मूल्य वृद्धि के पेटे अधिक भुगतान                       | 3.8      | 53    |
| गलत मूल्य सूचकांक अनुमत्य कर संवेदकों को अधिक भुगतान                              | 3.9      | 55    |
| संवेदकों को अदेय लाभ  | 3.10     | 57    |
| <b>शहरी विकास एवं आवासन विभाग</b>   |          |       |
| निर्माणकर्ताओं से श्रमिक उपकर का संग्रहण नहीं करना                                | 3.11     | 59    |

| परिशिष्ट     |   |       |
|--------------|---|-------|
|              |   | पृष्ठ |
| परिशिष्ट 1.1 | विभागों की सूची दर्शाने वाला विवरण  | 63    |
| परिशिष्ट 1.2 | लेखापरीक्षा प्रेक्षकों का उत्तर देने के अभाव का विवरण दर्शाने वाला विवरण                        | 64    |
| परिशिष्ट 2.1 | प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के संगठनात्मक संरचना के ब्योरे को दर्शाने वाला विवरण           | 65    |
| परिशिष्ट 2.2 | पीएमएवाई-जी की निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाइयों के नाम दर्शाने वाला विवरण              | 67    |
| परिशिष्ट 2.3 | अंतिम स्थाई प्रतीक्षा सूची में शामिल लाभार्थियों की संख्या का जिलेवार ब्योरा दर्शाने वाला विवरण | 68    |